क्यू मेल

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1 तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या–डीजी–14/2017 दिनांकःजून 03, 2017

**समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/**
**पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,**
**उत्तर प्रदेश ।**

जैसा कि आप अवगत होंगे कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उ0प्र0 सरकार के समस्त विभागों एवं खासतौर से पुलिस विभाग को यह निर्देश दिये हैं कि वह सोशल मीडिया के द्वारा जनता की शिकायतों का निस्तारण करें एवं अपने विभाग की उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचायें ।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उ0प्र0 पुलिस ट्विटर एवं फेसबुक पर सक्रिय है एवं डीजीपी मुख्यालय की सोशल मीडिया सेल द्वारा जिलों की सोशल मीडिया सेल से समन्वय स्थापित कर पुलिस के अच्छे कार्यों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है । डीजीपी मुख्यालय एवं जिलों के सोशल मीडिया सेल के अथक प्रयास के फलस्वरूप पिछले माह में उ0प्र0 पुलिस को ट्विटर सेवा हेतु चार एवार्ड मिले हैं, जो अत्यन्त हर्ष का विषय है ।

मेरे द्वारा मुख्यालय एवं जनपदों के सोशल मीडिया सेल द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा की गयी तो यह पाया गया कि अपवाद स्वरूप कुछ जनपदों को छोड़कर किसी भी अन्य जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्विटर एवं फेसबुक पर प्राप्त शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है एवं सोशल मीडिया सेल के कार्य का पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप जनता की शिकायतों का निस्तारण सही ढंग से एवं सही समय पर नहीं हो पा रहा है, जो आपत्तिजनक है।

मौजूदा समय में मुख्यालय की सोशल मीडिया सेल द्वारा जिलों के सोशल मीडिया सेल के साथ सम्पर्क कर जनशिकायतों का निस्तारण कराया जा रहा है । हाल में ही एक जनपद में कथित हत्या के उपरान्त परिजनों द्वारा जनपदीय पुलिस एवं जीआरपी के द्वारा एफ0आई0आर0 न लिखे जाने के फलस्वरूप जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर लगातार चार दिनों तक ट्वीट किया गया। मुख्यालय से निर्देशित करने के बावजूद भी अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ। मेरे द्वारा ट्वीट का संज्ञान लेकर अभियोग पंजीकृत कराया गया । यदि सोशल मीडिया सेल का पर्यवेक्षण अधिकारी रूचि लेकर करते तो ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती ।

**उ0प्र0 पुलिस की जनपदीय/परिक्षेत्रीय/जोनल सोशल मीडिया सेल के कियान्वयन हेतु निम्न निर्देशों का अनुपालन किया जाये :–**

1– जनपदीय सोशल मीडिया सेल में 8–8 घंटे की तीन शिफ्ट में कार्य किया जाये जिसमें दक्ष आरक्षी व मुख्य आरक्षी नियुक्त हों । उनका प्रभारी एक तकनीकी रूप से योग्य उ0नि0 या निरीक्षक होगा, जो सोशल मीडिया सेल प्रभारी के रूप में कार्य करेगा एवं पृथक रूप से नियुक्त होगा।

2– सोशल मीडिया सेल प्रभारी द्वारा अतिआवश्यक प्रकरणों को तत्काल सम्बन्धित थाने को सूचित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया जायेगा एवं सामान्य प्रकरण प्रतिदिन एक निर्धारित प्रोफार्मा में तैयार कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से अवलोकित कराया जायेगा । प्रोफार्मा मुख्यालय से उपलब्ध कराया जायेगा । महत्वपूर्ण ट्वीट का रजिस्टर में अभिलेखीकरण भी किया जायेगा ।

3– जनपद स्तर पर कोई भी सनसनीखेज अपराध घटित होने पर तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उक्त घटना के संबंध में टेम्पलेट बनवाकर ट्विटर एवं फेसबुक पर अपना

अधिकारिक वक्तव्य दें। उक्त घटना के अनावरण होने तक उसमें होने वाली महत्वपूर्ण प्रगति को भी समय समय पर सोशल मीडिया पर डाला जाये।

4– साम्प्रदायिक तनाव, विवाद या अन्य किसी अफवाह फैलने की स्थिति में सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को सही स्थिति से अवगत कराया जाये जिससे कि भ्रम या कानून व्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न होने पाये। अफवाहों के खण्डन हेतु प्रत्येक जनपद में "डिजिटल वालंटियर" (Digital Volunteer) बनाये जाये जिस हेतु पृथक रूप से एक कार्ययोजना मुख्यालय से प्रेषित की जायेगी।

5– प्रत्येक जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्षों को सम्मिलित करते हुए एक वाट्सएप ग्रुप बना लिया जाये । सोशल मीडिया सेल ट्विटर/फेसबुक पर प्राप्त शिकायत का स्क्रीन शाट उक्त वाट्सएप ग्रुप में डाला जाये ताकि सम्बन्धित अधिकारी उसका पर्यवेक्षण कर निस्तारण करवा सके ।

6– प्रत्येक जनपद में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सोशल मीडिया के कार्यो हेतु नोडल अधिकारी बनाया जाये एवं नोडल अधिकारी के नाम/पदनाम डीजीपी मुख्यालय को प्रेषित किया जाये। उक्त नोडल अधिकारी प्रत्येक सप्ताह सोशल मीडिया में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करायेंगे ।

7– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद के ट्विटर/फेसबुक को अपने सीयूजी मोबाइल पर निश्चित रूप से कान्फिगर (Configure) कर लें जिससे वह समय समय पर महत्वपूर्ण प्रकरणों से स्वयं संज्ञानित हो सके एवं जनपदीय पुलिस के अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार करवा सके।

8– सोशल मीडिया सेल में तैनात कर्मचारी डीजीपी मुख्यालय पर प्रशिक्षित किये गये हैं। पूर्व में निर्देश दिये गये थे कि यथासम्भव इनका स्थानान्तरण न किया जाय और यदि अनिवार्य हो तो प्रतिस्थानी तैनात कर उनको डीजीपी मुख्यालय के सोशल मीडिया सेल से प्रशिक्षण प्राप्त करायें एवं डीजीपी मुख्यालय को सूचित करें। इसके बावजूद कई कर्मचारी स्थानान्तरित कर दिये गय जिससे कार्य प्रभावित हुआ है ।

9– परिक्षेत्रीय/जोनल सोशल मीडिया सेल की कार्यप्रणाली के अवलोकन करने पर पाया गया कि इनके द्वारा जनपदों के कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है। डीजीपी मुख्यालय द्वारा भेजे गये निर्देशों को ही जनपद को अग्रसारित किया जा रहा है। परिक्षेत्रीय एवं जोनल सोशल मीडिया सेल में भी शिफ्टवार कार्य लिया जाये एवं एडीजी/आईजी स्वयं भी अपने सीयूजी मोबाइल पर ट्विटर/फेसबुक को कान्फिगर (Configure) कर ले जिससे जनपदों में शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा समुचित रूप से हो सके।

10– हाल में ही जनपद सहारनपुर में सोशल मीडिया के दुरूपयोग से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। सोशल नेटवर्किंग साईट के दुरूपयोग को रोकने हेतु प्रदेश में 2 स्थानों (1) डी0आई0जी0 रेंज मेरठ (2)एसटीएफ कार्यालय लखनऊ में Social Media command & Research Centre (SMCRC) की स्थापना की गयी है। उपरोक्त SMCRC पर कार्य हेतु सभी परिक्षेत्रीय कार्यालयों एवं मेरठ परिक्षेत्र के सभी जनपदों का Login ID एवं Password बनाकर निर्गत किये जा चुके हैं ।

इस सुविधा का सभी जनपद परिक्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से समुचित उपयोग कर सोशल मीडिया का दुरूपयोग करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करें । इस संदर्भ में विस्तृत निर्देश डीजी परिपत्र संख्या–01/2016 दिनांक 8 जनवरी, 2016 को दिये जा चुके हैं। कृपया उक्त परिपत्र का भलीभॉति अवलोकन कर तद्नुसार कार्यवाही करें ।

अधिकारियों हेतु जोनल या मुख्यालय स्तर पर भविष्य में सोशल मीडिया सेल की एक कार्यशाला आयोजित की जायेगी। मुझे उम्मीद है कि मा0 मुख्यमंत्री महोदय की अपेक्षा के अनुरूप आप सभी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर पुलिस विभाग की छवि सुधारने में अपना सार्थक योगदान देंगे ।

**संलग्नक–डेली प्रोफार्मा**

3/6/17

**(सुलखान सिंह)**
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 ।
2–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 ।

# सोशल मीडिया रिर्पोट – जनपद.....

दिनाँक ..... समय ..... बजे से ..... बजे तक।

| क्र. | ट्विटर हैण्डल /फेसबुक हैण्डल | थाना | ट्वीट/फेसबुक का विवरण | कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |